न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 352/2017/225 आरटीए

1. अमरसिंह पुत्र स्व. राजूसिंह जाति बावरी निवासी डबली बास मिढा रोही (ढाणी बावरियावाली) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. तारासिंह पुत्र अमरसिंह पुत्र स्व. राजूसिंह जाति बावरी निवासी डबली बास मिढा रोही (ढाणी बावरियावाली) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान स्टेट जरिये राजकीय अधिवक्ता।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 221/2015 अनवानी तारासिंह बनाम अमरसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री सुभाषचन्द भारद्वाज अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक –06.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने अभियान के दौरान दिनांक 09.10.2015 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 22.06.17 को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली तलबी अप्रार्थी मुकर्रर थी। प्रार्थना पत्र मे अपीलांट ने हाजिर होकर जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.06.17 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मे रखकर बिना नोटिस दिये बिना निश्चित तारीख दिये बिना उपस्थिति पक्षकारान के राजस्व अभियान मे जारीशुदा स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। राजस्व अभियान मे केवल सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निपटारा किया जाता है न कि विवादित। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा विवादित प्रकरण का निपटारा कर दिया। पत्रावली मे दिनांक 22.06.17 को तारीख पेशी नही थी और न ही पक्षकारान को नोटिस दिया गया था और न ही पक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली राजस्व अभियान मे रखी गयी बल्कि पक्षकारान की अनुपस्थिति मे बिना सुनवाई किये प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्ती है। प्रार्थी की गैर हाजरी मे प्रकरण का निस्तारण अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज किया जाना होता है न कि कोई आदेश पारित किया जाता है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मे अपना जवाब प्रस्तुत किया हुआ है जिसका बिना विवेचन किये आदेश पारित किया गया है जो काबिले निरस्ती है।

विवादित प्रकरण का राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे ली जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय नही किया जा सकता। राजस्व अभियान मे केवल उन्ही प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है जिसमे पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया हो। विवादित प्रकरण का न्यायालय मे विधि अनुसार सुनवाई करके निर्णय किया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत शिविर मे एकपक्षीय निर्णित नही किया जा सकता है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे तो अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत मे बिना पक्षकारान की उपस्थिति बिना सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया जो विधिसम्मत नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 04.09.2017 को निश्चित दिनांक को केवल मूल पत्रावली ही आने पर हुआ है इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही थी। जिसका दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया तथा उक्त वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सही निर्णय पारित किया गया है जो सही है। प्रश्नगत भूमि मे रेस्पो0 का हक व हिस्सा है इसलिये रेस्पो0 इसकी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 के दादा स्व0 राजूसिंह उर्फ राजू की थी जो राजू सिंह के फौत होने के बाद समस्त भूमि पत्नि बिश्नकौर, पुत्र अमरसिंह व चार पुत्रियों धन्नो, दीपो, सीतो व जीतो को बहिस्सा बराबर औद हुई। मु0 बिश्नकौरव चारो पुत्रियों द्वारा उक्त भूमि समस्त हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 06.06.63 अपीलांट के पक्ष मे तर्क कर दिया। परिणामस्वरूप वादग्रस्त भूमि अपीलांट की एकल खातेदारी दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमे रेस्पो0 हक व हिस्सा जन्म से निहित हो जाता है तथा जिसकी घोषणा अपने नाम करवाने का अधिकारी है। अपीलांट उक्त पैतृक भूमि मे से भूमि बैचान कर चुका है तथा शेष बची भूमि को बैचान करने पर उतारू है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 स्थगन आदेश बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का स्थाई करने से किसी भी प्रकार को कोई नुकसान नही होना मानते हुए स्थगन आदेश को

ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उभय पक्ष उपस्थित नही होना फर्दअहकाम दिनांक 22.06.17 मे अंकित किया है तथा पक्षकारान की उपस्थिति बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जबकि आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा पक्षकारान की उपस्थिति के बिना अभियान के दौरान पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official